

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कम-1, जयपुर महानगर द्वितीय

पीठासीन अधिकारी : **विनोद कुमार गुप्ता-II (आर.जे.एस.)**

अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र सं. : 315/26

पोरव कालेर पुत्र श्री ओमप्रकाश, उम्र-38 साल, निवासी रामपुर, पुलिस थाना छापर, जिला चुरू। वर्तमान पता : बी 6-185 सुदर्शन नगर, नागणेची माता के मन्दिर के पीछे, पुलिस थाना व्यास कॉलोनी, जिला बीकानेर (राज.)।

—प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक।अप्रार्थी

अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्र.सू.रि.सं. 09/25 पुलिस थाना एस.ओ.जी., जयपुर धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भा.द.सं. व धारा 3, 4, 6, 2(च)(II), 10 राज. सार्व. परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधि. 2022

उपस्थित :-

1. श्री विपुल शर्मा, विद्वान अधिवक्ता —प्रार्थी/अभियुक्त पोरव कालेर ।
2. श्रीमती साजिया खान, योग्य अपर लोक अभियोजक, राज्य ।

—:: **आदेश** ::— **दिनांक : 18-06-2026**

1 इस आदेश के जरिये इस आदेश के जरिये प्रार्थी/अभियुक्त पोरव कालेर द्वारा उसके पिता का निधन होने पर 12 दिवस की अन्तरिम जमानत चाहने आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का निस्तारण किया जा रहा है।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्यों के अनुसार हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में पोरव कालेर के संगठित गिरोह द्वारा परीक्षा का प्रश्न पत्र प्राप्त कर ब्लूटूथ डिवाइस से अभ्यर्थीगण को परीक्षा में नकल करवाने प्रकरण संख्या 09/2025 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भा.द.सं. व धारा 3, 4, 6, 2(च)(II), 10 राज. सार्व. परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधि. 2022 में दर्ज कर दौरान अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत हो चुका है।

3 बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि प्रार्थी के पिता ओम प्रकाश कालेर का दिनांक 17-06-26 को निधन हो गया है और वह सबसे बड़े बेटा है और उसके पिता का अंतिम संस्कार दिनांक 19-06-26 को प्रातः 7 बजे किया जाएगा। इसलिये दाह संस्कार व अंतिम क्रियाओं के लिये प्रार्थी को 12 दिन की अन्तरिम जमानत दी जाए।

4 विद्वान अपर लोक अभियोजक लोक अभियोजक ने 12 दिन की अन्तरिम जमानत आवेदन का विरोध किया।

5 सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6 प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में 9 प्रकरण दर्ज होना बताये गये हैं।

7 प्रार्थी/अभियुक्त पोरव कालेर के विरुद्ध, अन्य अभियुक्तगण के आपराधिक सहयोग से अनुचित साधनों का प्रयोग कर (अप्राधिकृत यांत्रिक उपकरण ब्लू टूथ डिवाइस का उपयोग कर इस डिवाइस के माध्यम से अभ्यर्थियों को नकल कराकर हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में कनिष्ठ लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर उनको उत्तीर्ण कराने एवं धोखाधड़ी पूर्वक चयनित कराने का धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भा.द.सं. व धारा 3, 4, 6, 2(च)(II), 10 राज. सार्व. परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधि. 2022 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है।

8 प्रार्थी की ओर से अपने पिता का निधन होने के सम्बन्ध में मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार 17-6-26 को ओमप्रकाश कालेर की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रार्थी की ओर से यह जाहिर किया गया कि दिनांक 19-06-26 को प्रातः 7 बजे उसके पिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र से ओमप्रकाश कालेर की मृत्यु होना जाहिर होता है और प्रार्थी ने स्वयं को उनका बड़ा पुत्र बताया है, लेकिन प्रार्थी को 12 दिवस की अन्तरिम जमानत दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता और प्रार्थी को पुलिस अभिरक्षा में अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

आ दे श

9 निष्कर्षतः प्रार्थी/अभियुक्त पोरव कालेर पुत्र श्री ओमप्रकाश की ओर से द.प्र. सं. की धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 439 द.प्र.सं.) के अंतर्गत 12 दिन की अन्तरिम जमानत चाहने हेतु प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है, लेकिन प्रार्थी को अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाती है और जेल अधीक्षक, जिला कारागार, जयपुर को निर्देश दिया जाता है कि प्रार्थी के पिता ओमप्रकाश कालेर के दिनांक 19-6-26 को होने वाले अंतिम संस्कार के लिये प्रार्थी/अभियुक्त पोरव कालेर को जेल मेनुअल के अनुसार पूर्ण सुरक्षा में चूरु ले जाया जाकर बाद अंतिम संस्कार वापस

जेल में दाखिला कराया जाना सुनिश्चित करें।

10 आदेश की प्रति पालनार्थ जेल अधीक्षक, जिला कारागार, जयपुर को जरिये ई-मेल प्रेषित हो।

(विनोद कुमार गुप्ता-II)

अपर सत्र न्यायाधीश, क्रम-1

जयपुर महानगर, द्वितीय

11 आदेश आज दिनांक 18-06-2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(विनोद कुमार गुप्ता-II)

अपर सत्र न्यायाधीश, क्रम-1

जयपुर महानगर द्वितीय